

पत्रसं.797-ई / पालिसी / 2018 / D&AR

दिनांक 02.11.2018

30/11/18

अपर महाप्रबंधक / उ.म.रे. / इलाहाबाद।

समस्त प्रधान विभागाध्यक्ष / उमरे / इला., वरि.उप म. प्र., उप म. प्र. / सा.मु.प्रशा.अधि. / नि.

मंडलरेलप्रबंधक / कार्मिक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद, झांसी, आगरा।

मुख्य कारखानाप्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, वैगनरिपेयर शॉप, झांसी।

मुख्य कारखानाप्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, रेलस्प्रिगकारखाना, सिधौली (ग्वालियर)। च

चेयरमैन, आरआरसी, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।

उप मु. सा. प्र. / झांसी, उप मुख्य इंजी. / सीपीओएच / इला., अधि.इंजी. / सीएसपी / इला.।

प्रिन्सिपल-सुपरवाइजरसट्रेनिंगसेंटर, झांसी, बेसिकट्रेनिंगसेंटर, लोको, झांसी, बेसिकट्रेनिंगसेंटर,

सी एण्ड डब्ल्यू, झांसी, बेसिकट्रेनिंगसेंटर, वैगनवर्कशॉप, झांसी, सी एण्ड डब्ल्यू, ट्रेनिंगसेंटर,

कानपुर, परमानेन्टवेट्रेनिंगसेंटरझांसी, ट्रान्सपोर्टेशन, ट्रेनिंगसेंटरसूबेदारगंज, इला.,

इलैक्ट्रिकट्रेनिंगसेंटरकानपुर, मु.प्रा.अधि., आईआरपीएमयू / नईदिल्ली।

उप मु.इंजी. / ब्रिज / लाईन / इला., झांसी, आगरा, उप मु.इंजी. / टीएमसी / लाईन / झांसी।

व.स.वि.स. / कैश एवंपे / उमरे, इला.।

Sub:-Guiding norms for imposition of punishment on Loco Pilots/Astt. Loco Pilots in cases of Passing Railway Signals at Danger (SPAD) as specified in the first proviso to Rule 6 of the Railway Servants (Displine & Appeal) Rules, 1968 (as amended from time to time).

रेलवेबोर्ड के पत्र सं. 2017/Safety (A&R)/18/11 दिनांक 22.01.2018 की प्रतिलिपि आपके सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवंआवश्यक कार्यवाहीहेतुप्रेषितहै।

संलग्नक- यथोक्त।

V.P. Singh
(वी.पी. सिंह)

वरिष्ठकार्मिकअधिकारी / मुख्या.
कृतेमहाप्रबंधककार्मिक

प्रतिलिपिनिम्नलिखितकोसूचनार्थ एवंआवश्यक कार्यवाहीहेतु-

1. मुख्य कार्यालय अधीक्षक / स्था., उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
2. मुख्य विधि सहायक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
3. मुख्य स्टाफ एण्ड वेलफेयरइन्सपेक्टर, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
4. मुख्य कार्यालय अधीक्षक- एस.सी., एस.टी. उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
5. महामंत्री, एनसीआरई एस, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
6. महामंत्री, एनसीआर एम यू, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
7. महामंत्री, एनसीआरपीओ ए, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।

30/11/18

208

R
01/15/18

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
RAILWAY BOARD

RBL-2018-176
24-1-18

No. 2017/Safety(A&R)/18/11

New Delhi, dated 22.01.2018

General Managers,
All Indian Railways
(including KRCL)

NCR

Sub: Guiding norms for imposition of punishment on Loco Pilots/Asstt. Loco Pilots in cases of Passing Railway Signals At Danger (SPAD) as specified in the first proviso to Rule 6 of the Railway Servants (Discipline & Appeal) Rules, 1968 (as amended from time to time)

Ref: Letter No. 2017/Safety (A&R)/18/11 dated 08.01.2018

With reference to Board's letter of even number dated 8.01.2018, it is directed that *Para 9.0* shall be replaced and read as under:

"Chargesheets in SPAD cases issued after 08.01.2018 shall be decided as per the new guidelines."

The above issues with approval of the Railway Board.

Please acknowledge receipt.

Pl. ensure compliance

H.C. Banga
DD/Safety(A&R) III
Railway Board

महाराष्ट्र राज्य सरकार
जयपुर नगर शाखा
24 JAN 2018

CSO
PCPO, PCDE

Handwritten signature

प्र० मुकाधिम	
मुकाधिम (प्रशा०)	✓
मुकाधिम (आई० आर०)	
उप मुकाधिम (राज्य०)	
उप मुकाधिम (मुख्या०)	✓
उप मुकाधिम (आई० आर०)	✓
अध्यक्ष/र०म०प्र०	
प्र० का० अधि० (राज्य०)	
प्र० का० अधि० (औ०स०)	
प्र० का० अधि० (मुख्या०)	✓
सकाधिम (आई० आर०)	
सकाधिम (भर्ती०)	

25/01/18

DRARE Policy